न्यायालयः—चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ अम्बेडकर नगर जिला—इंदौर म.प्र.

सत्र प्रकरण क्रमांक—34 / 2024
आई.ए. नंबर 02 / 2024
थाना डॉ. अम्बेडकर नगर का अप. क्रं— 86 / 2024
अपराध धारा— 450, 376(1) 506 भाग—2 भा.दं.सं.

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
..... राज्य

विरूद्ध

अमन पिता जगदीश वर्मा
आयु— 28 वर्ष, धंधा—मजदूरी
निवासी— म.नं. 2116 राज मोहल्ला, तहसील महू,
जिला इंदौर म.प्र.
..... आरोपी

—: आदेश :—

12.08.2024

अभियोजन द्वारा श्री दिनेश आर्य अपर लोक अभियोजक।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह उपजेल डॉ. अम्बेडकर नगर से व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित। आरोपी द्वारा श्री हंसराज वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी अनुपस्थित।

साक्षियों को जारी समन तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

इसी प्रक्रम पर आरोपी की ओर से द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया।

आवेदन पत्र को सी.आई.एस. में आई.ए. नंबर 02 / 2024 पर पंजीबद्ध किया जाये।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-2.pdf

आवेदन पत्र की प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दी गयी जिन्होंने उक्त आवेदन पत्र का जबाव न देना व्यक्त कर मौखिक विरोध किया गया।

तर्क सुने गये।

इस आदेश द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 8227/2023 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में निम्न जानकारी प्रथम पैरा में प्रदान की जा रही हैः–

सत्र प्रकरण क्रमांक	34/2024
एफ.आई.आर. नंबर	86/2024
एफ.आई.आर. दर्ज होने की दिनांक	19.02.2024
संबंधित थाने का नाम	महू/डॉ. अम्बेडकर नगर
गिरफ्तार होने की दिनांक	19.02.2024
अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक	19.04.2024
पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड	पुलिस थाना महू में अपराध क्रमांक 414/2019 379 भा.दं. सं., अपराध क्रमांक 486/19 धारा 49ए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम
जमानत आवेदन पत्र	द्वितीय

आरोपी की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** है, के समर्थन में शपथकर्ता जगदीश वर्मा पिता मोतीलाल का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसके पूर्व अन्य किसी न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही लंबित है और न ही निराकृत

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-2.pdf

हुआ है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी को असत्य रूप से गिरफ्तार किया गया है तथा वह छः माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। फरियादी एवं उसके माता–पिता ने न्यायालयीन कथन में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की पूर्व की परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। फरियादी 3 बच्चों की मॉ होकर 35 वर्ष की है एवं आरोपी से पारिवारिक संबंध भी है। आरोपी स्थानीय निवासी है तथा उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आरोपी न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा। अतः बदली हुई परिस्थितियों में द्वितीय आवेदन पत्र स्वीकार कर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन की ओर से श्री दिनेश आर्य अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पत्र का लिखित जबाव न देकर मौखिक विरोध किया तथा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रकरण एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि आरोपी के विरूद्ध धारा 450, 376(1) 506 भाग–2 भा.दं.सं का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.02.2024 को सुबह लगभग 9.30 बजे पीडित जब अपने घर में थी तभी आरोपी ने आकर उससे अश्लील बातें की एवं आरोपी ने पीडित के साथ बलात्संग कारित किया। आरोपी द्वारा पीडित को यह धमकी दी गई कि यदि वह उसके साथ नही रही तो वह पीडित के पति को मार डालेगा। तत्पश्चात आरोपी घटना स्थल से चला गया एवं पीडित ने घटना की जानकारी अपने पति को मोबाइल फोन पर दी। उक्त आधार पर पीडित ने अपने भाई के साथ जाकर पुलिस थाना डॉ अम्बेडकर नगर जिला इंदौर में आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-2.pdf

आरोपी पर पीडित के निवासग्रह में प्रवेश कर उसके साथ बलात्संग किये जाने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। यद्यपि अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा पीड़ित, पीड़ित के पति व पीड़ित की सास ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन पक्ष का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है, परंतु प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि पीड़ित की वेजायनल स्लाईड, वस्त्र, आरोपी की सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर व अंतवस्त्र जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किये गये हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट अप्राप्त है तथा प्रकरण में अन्य साक्षीगण की साक्ष्य होना शेष है। इसके अतिरिक्त आरोपी पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी प्रथम दृष्टया आपराधिक पृष्ठभूमि का होना दर्शित है। प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाये। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावन होगी। ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोपी पर आरोपित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अमन वर्मा की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् दिनांक 13.08.2024 को पेश हो।

हस्ता/–
(आर.एस. दोहरे)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050019192024-orderno-2.pdf